आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 48/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, अंचल शस्त्र केन्द्र, अंचल कार्यालय 02 नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स एम. बी. कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
   पता–सी 29, रीको इण्डिस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, तहसील चौमू ।
2. कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकिशोर गुप्ता
3. भावेश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार गुप्ता
4. श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता
   पता–1/519, विद्याधर नगर, सैक्टर–1 सीकर रोड, जयपुर ।
5. मैसर्स पंचम कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
   पता–फ्लेट नं. 602, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर–5, विद्याधर नगर, जयपुर।

प्रार्थीगण

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–

1. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री सतेन्द्र कुमार सक्सैना अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर ।

आदेश दिनांक 28.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी मैसर्स एम. बी. कास्टिंग प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री भावेश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट नम्बर सी–29 औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 5588 वर्गमीटर, (2) अप्रार्थी मैसर्स पंचम कास्टिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भावेश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 200 का पश्चिमी भाग, ग्राम–डीसा (Deesa) तहसील आमेर, जयपुर क्षेत्रफल 1822 वर्गमीटर तथा Hypothecation of entire current and fixed assets stock, Plant and Machinery, raw material stock in process book debts receivable etc. and all other assets created from loan amount obtained from the Bank. Situated at C-29 RIICO Industrial Area,Kaladera, Jaipur को बन्धक एवं हाईपोथीकेटेड कर कुल राशि 13,50,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction ofFinancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक एवं हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ऋणी की ओर से केवीयट प्रस्तुत की गई थी। अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता को सूचना दी गई। अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3 अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

4 पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 13,50,00,000/–रूपये का ऋण दिया गया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास बन्धक व हाईपोथीकेटेड की गई है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 13,19,46,389.64 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक हाईपोथीकेटेड रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक व हाईपोथीकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यकशपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

5 अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में (1) अप्रार्थी मैसर्स एम. बी. कास्टिंग प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री भावेश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार के स्वामित्व की बन्धक औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट नम्बर सी–29 औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर क्षेत्रफल 5588 वर्गमीटर, (2) अप्रार्थी मैसर्स पंचम कास्टिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भावेश गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के स्वमित्व की बन्धक औद्योगिक सम्पत्ति खसरा नम्बर 200 का पश्चिमी भाग, ग्राम–डीसा (Deesa) तहसील आमेर, जयपुर क्षेत्रफल 1822 वर्गमीटर तथा Hypothecation of entire current and fixed assets stock, Plant and Machinery, raw material stock in process book debts receivable etc. and all other assets created from loan amount obtained from the Bank. Situated at C-29 RIICO Industrial Area,Kaladera, Jaipur का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

6 आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7 आदेश आज दिनांक **28.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)